



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2019/वैशाख 2, 1941

No. 266]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2019/VAISAKHA 2, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019

सं. 19/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 320(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना सं. 34/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा में, आठवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि, मार्च, 2019 मास के लिए उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 23 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-I)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पणः— मूल अधिसूचना सं. 34/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018, भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2019 तारीख

20 फरवरी, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 136(अ), तारीख 20 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2019

No. 19/2019—Central Tax

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification number 34/2018—Central Tax, dated the 10th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.761(E), dated the 10th August, 2018, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the eighth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of March, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 23rd April, 2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of April, 2019.

[F.No. 20/06/16/2018-GST (Pt.-I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification number 34/2018 –Central Tax, dated the 10th August, 2018 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 761(E), dated the 10th August, 2018 and was last amended by notification No. 09/2019, dated the 20th February, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 136(E), dated the 20th February, 2019.